FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भागाराम		धोकलराम

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–130 / 2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

01.11.2021	प्रार्थी भागाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प झाक में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 225/1 रकबा 0.2508 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 1.6432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.8800 हैक्टेयर सयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता लक्ष्मणराम पुत्र भूराराम की थी। लक्ष्मणराम का देहान्त सन् 2020 को हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम भागाराम के बजाय श्रवणराम लिख दिया गया जबकि पार्थी का वास्तविक नाम भागाराम है। एवं सरकारी दस्तावेज भी भागाराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र लक्ष्मणराम के स्थान पर भागाराम पुत्र लक्ष्मणराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भागाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी भागाराम के पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। प्रतिवादी धोकलराम पुत्र लक्ष्मणराम के बयान कलमबद्ध करायें गयें। प्रतिवादी धोकलराम ने राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि को शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में श्रवणराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम भागाराम के बजाय श्रवणराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 225/1 रकबा 0.2508 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622/1 रकबा 0.0162 खसरा नम्बर 624 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 1.6432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.8800 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

	लक्ष्मणराम के स्थान पर भागाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम झाक में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प झाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भागाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा		1.धोकलराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 130/2021

निर्णय **दिनांक** :– 01.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या–2 सरकार [illegible] मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर [illegible]/1 रकबा 0.2508 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.5097 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.3802 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.5906 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 625 रकबा 1.6432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.8800 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में श्रवणराम पुत्र लक्ष्मणराम के स्थान पर भागाराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested

की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:41 IST
Reason: SelfAttested